3/3

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
समंक विधायन प्रभाग मुख्यालय
महलानोबिस भवन
164, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता - 700 108

फा.सं. D-11011/3/DPD (HQ)/Admn-IV/DES-68/2011-12 दिनांक : 16.01.2012

निविदा सूचना

उप महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग, कोलकाता, स.वि.प्र., राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा अनुभवी ठेकेदारों से उप महानिदेशक (स.वि.प्र.), समंक विधायन प्रभाग मुख्यालय, कोलकाता के नियंत्रणाधीन समंक विधायन प्रभाग (मुख्या.), कोलकाता, समंक विधायन केन्द्र, नागपुर और समंक विधायन केन्द्र, दिल्ली के संदर्भ में एन.एस.एस.68वें दौर के 3500 एफ.एस.यू. समंक प्रविष्टि (डाटा एन्ट्री) और सत्यापन कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

1.निविदा दस्तावेज उप महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग (मुख्या.), कोलकाता से इस कार्यालय के नकद काउन्टर में रु.100/- (नावापसी) का भुगतान कर (दोपहर 12.00 से 15.00 बजे के बीच) अथवा "Pay & Accounts Officer, Ministry of Statistics & Programme Implementation, Kolkata" को देय डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 23.01.2012 से 13.02.2012 के दौरान किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं ।
2.इसे हमारे वेबसाइट www.mospi.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है । इस स्थिति में निविदा दस्तावेज का मूल्य रु. 100/- को "Pay & Accounts Officer, Ministry of Statistics & Programme Implementation, Kolkata" के नाम क्रॉस डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में तैयार कर निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
3.बिड जमानत (ई. एम. डी.) : रु. 50000/-
4.निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 13.02.2012 को 14.00 बजे तक ।
5.निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 14.02.2012 को 15.00 बजे ।
6.ठेके की अवधि : अनुबंध की तिथि से 3(तीन) महीने (यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो), या निविदा में दिए गए कार्य का पूरा होना, जो भी पहले हो ।
7.किये जाने वाले कार्य : समंक प्रविष्टि (डाटा एन्ट्री) एवं सत्यापन (वेरिफिकेशन) कार्य के लिए समंक विधायन प्रभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्क्रीन-आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर 68वें दौर के 3500 एफ.एस.यू. की समंक प्रविष्टि एवं सत्यापन ।
8.समंक प्रविष्टि और सत्यापन के लिए आउटसोर्स की जाने वाली एफ.एस.यू. की कुल संख्या 3500 है (कोलकाता-1800 एफ.एस.यू., नागपुर-1100 एफ.एस.यू. और दिल्ली-600 एफ.एस.यू.) ।
9.ठेकेदारों को अनुसूचियाँ सौंपने की समय-सीमा : अप्रैल, 2012 के प्रथम सप्ताह से जून, 2012 के दूसरे सप्ताह तक (कृपया संबंधित भाग देखें) ।
10.समंक-प्रविष्टि और सत्यापन की समय-सीमा 30 जून, 2012 है । इसे अपरिहार्य स्थितियों में बढ़ाया जा सकता है ।
11.कार्य के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों और नोडल अधिकारी का नामांकन : श्री एस.के.दास, उप महानिदेशक, स.वि.प्र.(मु.), कोलकाता - तकनीकी समन्वय के लिए और श्री बी.बी.पाल, उप महानिदेशक एवं कार्यालय प्रमुख - अन्य सभी प्रशासनिक मामलों के लिए ।
12.दस्तावेज़ों के नवीनतम कागजात (सेक्शन III के अनुसार फैर्म का टर्नओवर आदि) अवश्य जमा किए जाने चाहिए ।
13.अनुसूचियों के एकत्रीकरण की रीति : सभी भरी हुई अनुसूचियों को संबंधित केन्द्रों से एकत्र किया जाना है और संगत अनुसूचियों की समंक प्रविष्टि और सत्यापन कार्य को पूरा करने के पश्चात केन्द्रों को बगैर किसी अतिरिक्त खर्च के वापस भेजा जाना है । स.वि.केन्द्रों के पते परिशिष्ट- III में दिए गए हैं ।
14.पात्रता मापदण्ड : निविदा धारक को सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी संस्थानों में और सुसज्जित डाटा एन्ट्री यूनिट में इसी प्रकार के कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
15.कार्यभार के मूल्यांकन के लिए एफ.एस.यू. की नमूना प्रतियाँ स.वि.प्र. के कोलकाता, दिल्ली और नागपुर केन्द्रों में देखी जा सकती हैं ।

बी.बी.पाल
(बी.बी. पाल)
उप महानिदेशक एवं का.प्र., स.वि.प्र.(मुख्या.),
कोलकाता, दूरभाष सं. :033-2578-6477